पत्र संख्या–वनभूमि–18/2018–4896 व0प0

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 06/12/2018

विषय :– जमशेदपुर वन प्रमंडल अंतर्गत् पिपला मोड़ (NH-33) से घोड़ाबांधा होते हुए गोविन्दपुर अन्ना चौक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु अधिसूचित वनभूमि 16.04 एवं जंगल–झाड़ी 0.71 हे0 कुल–16.75 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–1056 दिनांक–04.10.2018 एवं पत्रांक–1166 दिनांक–12.11.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में जमशेदपुर वन प्रमंडल अंतर्गत् विषयक पथ परियोजना हेतु कुल–16.75 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–11-09/98-FC दिनांक–04.07.2014 एवं दिनांक–25.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक–28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 16.75 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।

(iii) यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।

(iv) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।

(v) प्रस्तावित वनभूमि में पथ निर्माण के क्रम में कम–से–कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 677 वृक्षों से अधिक का पातन नही किया जायेगा।

(vi) प्रस्तावित अपयोजन के कारण वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले कुप्रभाव को Mitigate करने के उद्देश्य से वन्यप्राणी प्रबंध योजना तैयार कर इसके कार्यान्वियन हेतु राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

(vii) प्रस्तावित पथ निर्माण के उपरांत पथ के दोनो तरफ उपलब्ध स्थानों पर वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(ix) वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।

(x) यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों कोई धन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।

क्0पृ0उ0

(xi) परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।

(xii) अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नही किया जायेगा।

(xiii) सूर्यास्त से सूर्योदय तक समान्यतः वनभूमि पर पथ निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।

(xiv) भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(xv) उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

सैद्धांतिक सहमति के शर्तो के अनुपालन होने के उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विश्वासभाजन

6/12/18

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वनभूमि–18/2018–4896 व0प0, राँची दिनांक– 06/12/2018

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची बंगला नं0–A-2,श्यामली कॉलोनी, राँची–834002 को मूल प्रस्ताव की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

6/12/18

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वनभूमि–18/2018–4896 व0प0, राँची दिनांक– 06/12/2018

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर, झारखण्ड–831001 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/12/18

विशेष कार्य पदाधिकारी।